



राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, झुन्झुनूं
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD, JHUNJHUNU
Email:-rorpcb.jjn@gmail.com
www.environment.rajasthan.gov.in

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

मैसर्स श्री सीमेन्ट, खनन पट्टा संख्या, 47 / 07, क्षेत्रफल 624 हैक्टेयर, ग्राम – गोठड़ा, चौढ़ानी, देवगांव एवं खेस्वा की ढाणी, तहसील – नवलगढ़, जिला – झुन्झुनूं (राज.) में खनन पट्टा इकाई द्वारा इकाई द्वारा प्रस्तावित खनन क्षमता विस्तार 3.2 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 6.75 मिलियन टन प्रतिवर्ष, उच्च मृदा 0.12 मिलियन टन प्रतिवर्ष, वेस्ट 21.0 मिलियन टन प्रतिवर्ष, रन ऑफ मिनरल रिजेक्ट 0.358 मिलियन टन प्रतिवर्ष (कुल खनन – 28.228 मिलियन टन प्रतिवर्ष) एवं साथ ही क्रेसर की उत्पादन क्षमता विस्तार 1200 टन प्रति घंटा से 1600 टन प्रति घंटा (प्राथमिक) एवं 550 टन प्रति घंटा (द्वितीयक) के साथ वॉब्लर हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स श्री सीमेन्ट, खनन पट्टा संख्या, 47 / 07, क्षेत्रफल 624 हैक्टेयर, ग्राम – गोठड़ा, चौढ़ानी, देवगांव एवं खेस्वा की ढाणी, तहसील – नवलगढ़, जिला – झुन्झुनूं (राज.) में खनन पट्टा इकाई द्वारा इकाई द्वारा प्रस्तावित खनन क्षमता विस्तार 3.2 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 6.75 मिलियन टन प्रतिवर्ष, उच्च मृदा 0.12 मिलियन टन प्रतिवर्ष, वेस्ट 21.0 मिलियन टन प्रतिवर्ष, रन ऑफ मिनरल रिजेक्ट 0.358 मिलियन टन प्रतिवर्ष (कुल खनन – 28.228 मिलियन टन प्रतिवर्ष) एवं साथ ही क्रेसर की उत्पादन क्षमता विस्तार 1200 टन प्रति घंटा से 1600 टन प्रति घंटा (प्राथमिक) एवं 550 टन प्रति घंटा (द्वितीयक) के साथ वॉब्लर हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के समक्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के समक्ष परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

2. चूंकि मैसर्स श्री सीमेन्ट, खनन पट्टा संख्या, 47 / 07 ग्राम – गोठड़ा, चौढ़ानी, देवगांव एवं खेस्वा की ढाणी, तहसील – नवलगढ़, जिला – झुन्झुनूं (राज.) ने उक्त परियोजना के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति के सम्बन्ध में पर्यावरणीय लोक सुनवाई हेतु आवेदन मय दस्तावेज के साथ राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया है।

3. और चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।

4. उक्त परियोजना से संबंधित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) निम्नांकित कार्यालयों पर उपलब्ध है:-

(अ) जिला कलेक्टर, झुन्झुनूं

(ब) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र, ज्ञालाना दुंगरी, जयपुर।

(स) निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240, द्वितीय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।

(द) उप निदेशक, (एस) पर्यावरण प्रभाग एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय – जयपुर, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, ए 218, अरण्य भवन, ज्ञालाना इंस्टीट्यूशनल एरिया, जयपुर – राज. – 302004

(य) उप खण्ड अधिकारी, नवलगढ़।

(र) खनिज अभियन्ता, झुन्झुनूं।

(ल) महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, झुन्झुनूं।

(व) क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सी.पी. 01 / 90, प्रथम तल, राज कॉम्प्लेक्स, रीको औद्योगिक क्षेत्र, फेज 2, सीकर रोड, झुन्झुनूं।

अतः सर्व साधारण को नोटिस के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि वे उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित लोक सुनवाई हेतु दिनांक 05.07.2024 को पूर्वाह्न 11:00 बजे, खनन पट्टा क्षेत्र खसरा नम्बर 586, चौढ़ानी (देवगांव), तहसील – नवलगढ़, जिला – झुन्झुनूं में उपस्थित होकर अपने सुझाव/आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव/आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सी.पी. 01 / 90, प्रथम तल, राज कॉम्प्लेक्स, रीको औद्योगिक क्षेत्र, फेज 2, सीकर रोड, झुन्झुनूं में दिये जा सकते हैं।

(दीपक धनेटवाल)
क्षेत्रीय अधिकारी